न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या
मैनुअल नं.73/अपील/2024
(GCMS No. 2024/240)

प्रविष्टि दिनांक
16.12.2024

निर्णय दिनांक
30.06.2025

1. अमरीबाई पुत्री हीरानाथ, जाति कालबेलिया,
   निवासी महुआ का देवजी हाल खटकड़, जिला बून्दी
2. पप्पू पुत्र हीरानाथ, जाति कालबेलिया,
   नि0 महुआ का देवजी हाल अमरपुरा तहसील दीगोद, जिला कोटा
3. बाबूलाल पुत्र हीरानाथ, जाति कालबेलिया,
   निवासी महुआ का देवजी हाल खटकड़, जिला बून्दी
4. उस्मान पुत्र हीरानाथ, जाति कालबेलिया,
   निवासी महुआ का देवजी हाल बलकासा, तह. के.पाटन, जिला बून्दी

– अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, रायथल (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री प्रेमशंकर गुर्जर, एडवोकेट।
रेस्पोडेंट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार के.पाटन द्वारा तस्दीक नामान्तरण संख्या 70 दिनांक 22.04.2010 ग्राम महुआ से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार हीरानाथ आ.भागानाथ कौम कालबेलिया के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 73/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/240 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

जिला कलेक्टर; बून्दी

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि खातेदार हीरानाथ वल्द भागानाथ कौम कालबेलिया की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 48/198 रकबा 2.43 हैक्टेयर वाकेग्राम महुआ तहसील के.पाटन में स्थित थी, जो वर्तमान में तहसील रायथल में आती है। खातेदार हीरानाथ के एक पुत्री अमरीबाई एवं तीन पुत्र पप्पू, बाबूलाल, उस्मान थे। उक्त खातेदार हीरानाथ की मृत्यु होने पर फोती नामान्तरकरण सं. 70 उसके वारिसान के नाम दिनांक 22.10.2010 को तस्दीक किया गया, जिसमें अपीलांट सं.1 लगायत 3 एवं हंसराज का नाम शामिल कर दिया गया और अपीलांट सं. 4 उस्मान का नाम छोड दिया गया, जबकि खातेदार हीरानाथ के हंसराज नाम का कोई पुत्र ही नहीं है। इस प्रकार खातेदार हीरानाथ के जायन्दा पुत्र उस्मान का नाम फोती इंतकाल में शामिल नहीं किये जाने से एवं हंसराज नाम का कोई पुत्र नहीं होने के बावजूद भी हंसराज के पक्ष में फोती इंतकाल दर्ज कर दिये जाने से अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 70 त्रुटिपूर्ण है जो निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करते समय वारिसान की सही जांच नहीं की गई और न ही मजमेआम व पडौसी खातेदारान से पूछा गया, इस तरह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की गई है। अपीलांट उस्मान का नाम नामान्तरकरण शामिल नहीं करने से उसे खातेदारी अधिकारों से वंचित होना पडा है जिससे उसको भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। अपीलांटस द्वारा माह नवम्बर,2024 में जमाबंदी की नकल प्राप्त की गई तो खाते में हंसराज का नाम दिखाई दिया और उस्मान का नाम अंकित नहीं मिला। इस पर पटवारी हल्का से जानकारी ली गई तो ज्ञात हुआ कि नामान्तरकरण संख्या 70 में उस्मान का नाम नहीं लिखा गया। उसी दिन नामान्तरकरण की पटवार हल्का से नकल प्राप्त कर यह अपील पेश की है जो जानकारी की तिथि दिनांक 17.11.24 से अवधि मध्य पेश है, फिर भी देरी माफी हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से प्रस्तुत किया है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं.70 निरस्त किया जाकर नये सिरे से वारिसान की जांच करते हुए हंसराज का नाम हटाते हुये अपीलांटस के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रकरण तहसीलदार रायथल को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित की जा सकती है।

जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 22.04.2010 की जानकारी दिनांक 17.11.2024 को होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि आराजी खसरा संख्या 48/198 रकबा 2.4300 हैक्टेयर वाके ग्राम महुआ का खातेदार हीरानाथ वल्द भागानाथ कौम कालबेलिया था। खातेदार हीरानाथ के देहान्त के बाद फोती नामान्तरकरण सं. 70 बाबूलाल, हंसराज, पप्पू पि. हीरानाथ, अमरीबाई पुत्री हीरानाथ के नाम तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि फोती नामान्तरकरण में पुत्र उस्मान के स्थान पर हंसराज का नाम दर्ज कर दिया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण पर जो सजरा बनाया गया है वह त्रुटिपूर्ण है। मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच किये बिना एवं उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना त्रुटिपूर्ण सजरे के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जाना अंकित करते हुये उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। अपने कथन के समर्थन में अपीलांटस द्वारा अपने आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई है। जहां तक अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित सजरे के गलत होने तथा वारिसान की सुनवाई नहीं किये जाने का प्रश्न है तो नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व विधिक वारिसान की जांच की जाकर उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है, इसके अभाव में अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रथमदृष्टया विधिविरूद्ध प्रकट होता है। अतः न्यायहित में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार रायथल को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर मृतक खातेदार हीरानाथ के सभी विधिक वारिसान की जांच कर, उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, नये सिरे से आदेश पारित कर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी